दिनांक 26.09.2024
प्रेस विज्ञप्ति 33/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद फतेहपुर/थाना कोतवाली नगर

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के माल बिक्री के 29 हजार 450 रूपये नगद**
- **लूट के सोने के आभूषण**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 26.09.2024 को थाना कोतवाली नगर, थाना राधानगर, थाना हथगांव की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम बकंधा नहर पुलिया के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–गोलू घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–करन सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के माल बिक्री के 29 हजार 450 रूपये नगद, लूट के सोने के आभूषण, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त गोलू के विरूद्ध जनपद फतेहपुर व कमिश्नरेट कानपुर नगर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 11 अभियोग एवं अभियुक्त करन के विरूद्ध जनपद फतेहपुर व कमिश्नरेट कानपुर नगर, आगरा के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्त गोलू थाना कोतवाली नगर व थाना थरियांव पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—गोलू निवासी कंचनपुर थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर।

2—करन निवासी जगतपुर थाना इंदरगढ़ जनपद कन्नौज।

बरामदगी

1—लूट के माल बिक्री के 29 हजार 450 रूपये नगद।

2—लूट के सोने के आभूषण।

3—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

4—01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद सहारनपुर/थाना कुतुबशेर

- **20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के माल बिक्री के 20 हजार रूपये नगद बरामद**

दिनांक 26.09.2024 को थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गैरव चौपड़ा फैक्ट्री के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त बुग्गा उर्फ रामपाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी के माल बिक्री के 20 हजार रूपये नगद बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद सहारनपुर, हरियाणा के विभिन्न थानो में चोरी, अपहरण, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कुतुबशेर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—बुग्गा उर्फ रामपाल निवासी बस स्टैण्ड के पास लाजपतनगर थाना यमुनानगर शहर जनपद जमुनानगर हरियाणा।

बरामदगी

1—चोरी के माल बिक्री के 20 हजार रूपये नगद।

जनपद हाथरस/थाना सासनी

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की 01 वैगनार कार**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 स्कॉर्पियो वाहन (बिना नम्बर प्लेट) बरामद**

दिनांक 25/26.09.2024 को थाना सासनी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम द्वारिकापुर सासनी—मडराक रोड के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—आकाश 2—सुरेश घायल हो गये, जिन्हे अभियुक्त 3—मिन्टू सहित गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट की 01 वैगनार कार, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 स्कॉर्पियो वाहन (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुई। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 24.09.2024 को थाना सासनी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सासनी पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद वैगनार कार उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सासनी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आकाश निवासी दिहौली जनपद अलीगढ़।

2–सुरेश निवासी पला साहिबाबाद थाना सासनी गेट जनपद अलीगढ़।

3–मिन्टू निवासी पला साहिबाबाद थाना सासनी गेट जनपद अलीगढ़।

बरामदगी

1–लूट की 01 वैगनार कार।

2–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3–घटना में प्रयुक्त 01 स्कॉर्पियो वाहन (बिना नम्बर प्लेट)।

जनपद रायबरेली/थाना लालगंज

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **08 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण**
- **31 हजार रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस**
- **03 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 26.09.2024 को थाना लालगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत चेकिंग के दौरान 08 अभियुक्तों 1–अभिषेक 2–राजीव 3–कोहिनूर 4–गुल्लू 5–नितीश 6–सुजीत 7–जीतू 8–इंकू को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण, 31 हजार रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस, 03 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना लालगंज पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना लालगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अभिषेक निवासी कस्बा प्रकाश नगर थाना देहात जनपद दतिया मध्यप्रदेश।

2–राजीव निवासी कस्बा प्रकाश नगर थाना देहात जनपद दतिया मध्यप्रदेश।

3–कोहिनूर निवासी कस्बा प्रकाश नगर थाना देहात जनपद दतिया मध्यप्रदेश।

4–गुल्लू निवासी जरावरी थाना बार जनपद ललितपुर मध्यप्रदेश।

5–नितीश निवासी कस्बा प्रकाश नगर थाना देहात जनपद दतिया मध्यप्रदेश।

6–सुजीत निवासी कस्बा प्रकाश नगर थाना देहात जनपद दतिया मध्यप्रदेश।

7–जीतू निवासी कस्बा प्रकाश नगर थाना देहात जनपद दतिया मध्यप्रदेश।

8–इंकू निवासी कस्बा प्रकाश नगर थाना देहात जनपद दतिया मध्यप्रदेश।

बरामदगी

1–चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण।

2–31 हजार रूपये नगद।

3–02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस।

4–03 मोटर साइकिल आदि।

कमिश्नरेट आगरा/थाना हरीपर्वत

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 10 दो पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 26.09.2024 को थाना हरीपर्वत पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर टीपीनगर के पास से 02 अभियुक्तों 1–पवन उर्फ सोनू 2–भूरा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 10 दो पहिया वाहन बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध कमिश्नरेट आगरा के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 09 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना हरीपर्वत पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—पवन उर्फ सोनू निवासी सम्मुखनगर धनौली थाना मलपुरा कमिश्नरेट आगरा।

2—भूरा निवासी इब्राहिमपुर थाना रूपवास जनपद भरतपुर राजस्थान।

बरामदगी

1—चोरी की 10 दो पहिया वाहन।

जनपद कुशीनगर/थाना पटहेरवा

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **11 हजार रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **02 मोबाइल फोन**
- **02 पिअकप वाहन आदि बरामद**

दिनांक 26.09.2024 को थाना पटहेरवा, थाना सेवरही, थाना तमकुहीराज, थाना तरयासुजान व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर महुअवा काटा कट से पिपर कनक लिंक रोड के पास चेकिंग के दौरान बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—नदीम 2—समीर घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 11 हजार रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 02 मोबाइल फोन, 02 पिअकप वाहन आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना पटहेरवा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–नदीम निवासी ग्राम सुभाषनगर थाना मंडी जनपद मुजफ्फरनगर।

2–समीर निवासी ग्राम कस्बा सरधना थाना सरधना जनपद मेरठ।

बरामदगी

1–11 हजार रूपये नगद।

2–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3–02 मोबाइल फोन।

4–02 पिअकप वाहन आदि।

कमिश्नरेट वाराणसी/थाना रोहनिया

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 10 लाख रूपये कीमत के 65 किलो 772 ग्राम अवैध गांजा**
- **घटना में प्रयुक्त 02 चार पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 26.09.2024 को थाना रोहनिया व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हेरिटेज हॉस्पिटल भदवर के पास से 03 अभियुक्तों 1–अजय 2–मो0मंसूर 3–चेतन मुखी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 10 लाख रूपये कीमत के 65 किलो 772 ग्राम अवैध गांजा, घटना में प्रयुक्त 02 चार पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना रोहनिया पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अजय निवासी बी ब्लाक क्रिस्चियन बस्ती थाना सोनारी पूर्वी सिंहभूमि जमशेदपुर झारखण्ड।

2–मो0मंसूर निवासी गडवान पट्टी कीताडीह थाना गोलमुरी कमजुगसलाई टाटा नगर पूर्वी सिंहभूमि जमशेदपुर झारखण्ड।

3—चेतन मुखी निवासी वर्मा माइन्स थाना वर्मा माइन्स जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूमि झारखण्ड।

बरामदगी

1—लगभग 10 लाख रूपये कीमत के 65 किलो 772 ग्राम अवैध गांजा।

2—घटना में प्रयुक्त 02 चार पहिया वाहन आदि।

जनपद शाहजहाँपुर/जलालाबाद

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 10 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 101.33 ग्राम अवैध स्मैक बरामद**

दिनांक 26.09.2024 को थाना जलालाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जलालाबाद मदनापुर हाईवे गंगा मन्दिर के पास से अभियुक्त राजीव को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 10 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 101.33 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना जलालाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राजीव निवासी मो0नौसारा कस्बा व थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर।

बरामदगी

1—लगभग 10 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 101.33 ग्राम अवैध स्मैक।

- **जनपद चित्रकूट/थाना बहिलपुरवा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद चित्रकूट पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद चित्रकूट द्वारा थाना बहिलपुरवा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत

अभियुक्त भगवानदीन को आजीवन कारावास व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद गोरखपुर/थाना शाहपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 70 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा थाना शाहपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/328/354/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त सूर्यकान्त उर्फ मन्टू को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 70 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————